न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
13/2016	धारा 188RTA	10.02.2016	16.10.2019

मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी (बड़ा मन्दिर) चूरू नाबालिक जरिये श्री योगेन्द्रदास, महन्त मन्दिर श्री लक्ष्मी नाथ (बड़ा मन्दिर) चूरू

—वादी—

बनाम

जाकिर हुसैन पुत्र श्री नवाब अली खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 24 मनोरंजन क्लब के पास, चूरू

—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित— 1. अधिवक्ता श्री असगर खान वादी
2. अधिवक्ता प्रतिवादी अनुपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि कस्बा चूरू की रोही में एक खेत ख.नं. 961 तादादी लक्ष्मीनारायण जी का मैं वादी पीठासीन महन्त हूं। अतः यह खेत मुझ महन्त वादी के कब्जे एवं काश्त में है जो बतौर ट्रस्टी मैं इन्तजाम देखभाल करता हूं क्योंकि खातेदार मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी शास्वत ना—बालिक है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2067—2070 पेश है। यह कि प्रतिवादी ने बिना किसी अधिकार – बिना वादी की इजाजत के मेरे इस खेत ख.नं. 961 तादादी 11 रोही मोजा चूरू में घुसकर मिट्टी खोदनी शुरू करदी तथा ट्रेक्टर ट्रोली व जेसीबी लगाकर ट्रेक्टर ट्रोली में भर कर चूरू लाकर 350 रू. प्रति ट्रोली बेचता है। मुझे कल दिनांक 09.02.2016 को ही पता चला कि मेरे खेत में प्रतिवादी खुदाई करके मिट्टी की ट्रोली भर भर कर बेच रहा है। इस पर मैं तुरन्त अपने उपरोक्त खेत में गया तो पाया कि प्रतिवादी मजदूरों से जेसीबी से खुदाई करवाकर ट्रोली भर रहा था। तब मैंने उसको मना किया कि आप क्यों अवैध कार्य कर रहे हो तब उसने हठधर्मिता से कहा कि मैं तो मिट्टी उठाऊंगा। आपके याद आवे वो कार्यवाही करो और लड़ने झगड़ने को तैयार हो गया। तब उससे फौजदारी या लड़ाई झगड़ा करना मुझ जैसे ईश्वपरस्त नेक एवं सभ्य इन्सान के लिए न तो उचित था न ही विधि सम्मत था। इसलिए तुरन्त कलेक्टरी में आया जमाबन्दी की नकल प्राप्त की और बिना देरी किये आज यह दावा पेश किया जा रहा है। यह कि प्रतिवादी ने खेत में करीबन डेढ बीघा भूमि का करीबन 15 फुट गहरा खोद दिया है और गहरे गहरे गड्ढे कर दिये हैं जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। यह कि जब मैंने पता किया तो पता चला कि इसने अब तक करीबन 2500 ट्रोली मिट्टी की भर कर शहर में बेच दी है जो प्रति ट्रोली 350/—रू. में बेची है। इस प्रकार मेरे खेत को गड्ढे करके भूमि को खराब एवं काश्त हेतु अनुपयुक्त बना दिया है, जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। यह कि खेत मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ का है जो शास्वत नाबालिक है। मै इस मन्दिर का पीठासीन महन्त हूँ। अतः वादी को यह दावा पेश करने हेतु विनाय दावा हासिल है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि वादी को प्रतिवादी द्वारा वादी के खेत में की जा रही अवैध खुदाई का पता चलते ही वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 09.02.2016 को खेत जाकर वर्जित किया कि वो अवैध खुदाई को तुरन्त बन्द करे एवं जेसीबी एवं ट्रेक्टर ट्रोली को यहां से भगावे मगर प्रतिवादी साफ इन्कार हो गया। अतः इसी तारीख से वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध यह दावा पेश करने हेतु वाद हेतुक उत्पन्न हुआ। यह कि खेत जैर दावा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार हासिल है। यह कि प्रार्थी अपने इस खेत में हो रही अवैध खुदाई होने के कारण अपने खेत के उपयोग–उपभोग से वंचित होंगे तथा उन्हें न पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति भी रूपयों में नहीं की जा सकेगी। अतः प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टया मुकदमा अपूर्तिय क्षति व सुविधा सन्तुलन का बिन्दू पूर्णतः साबित है। यह कि दावा सिर्फ स्थाई निषेधाज्ञा का है। अतः अन्दर मियाद वाजिब न्यायालय शुल्क पर पेश है।

अतः दावा पेश करके विनम्र निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को वर्जित फरमाया जावे कि वो वादी के खेत खसरा नम्बर 961 तादादी 11 बीघा रोही मौजा चूरू में न तो प्रवेश करे तथा न ही मिट्टी खुदाई करें।
2. अब तक मन्दिर की भूमि से जो नाजायज लाभ प्रतिवादी ने कमाया है वो सब वादी मन्दिर को दिलवाया जावे।
3. खर्चा दावा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।
4. अन्य कोई दादरसी जो करीने इंसाफ एवं मुफीद वादी हो वो भी अता फरमाई जावे।

वादी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी के सम्मन पर अंकित आया कि वह बम्बई गया हुआ है घरवालों ने नोटिस लेने से इन्कार किया। प्रतिवादी को पुनः सम्मन जारी किये गये परन्तु दूसरी बार भी प्रतिवादी का बम्बई रहना अंकित आया। वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी व उसके परिवार के सदस्य जानबूझकर तामील नहीं ले रहे हैं। अतः परिवार के किसी वयस्क सदस्य पर तामील करवाने आदेश एवं इन्कार करने पर तामील विधिवत होना मानी जाने का आदेश फरमावें। वकील वादी का कथन उचित प्रतीत होने से तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया गया कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति में परिवार के वयस्क सदस्य पर तामील करवावें तथा इन्कार करने पर स्पष्ट टिप्पणी कर भिजवावें या दो साक्ष्यों की उपस्थिति में आबाद मकान पर नोटिस चस्पा हो। तामीली सम्मन पर तामील कुनिन्दा द्वारा रिपोर्ट अंकित आई कि जाकिरहुसैन घर पर हाजिर नहीं मिला उनका पोता घर पर हाजिर मिला तामील लेने से इन्कार हो गया इसलिए मौके पर ही आबाद मकान पर चस्पा कर दी गई। जिस पर प्रतवादी पर तामील विधिवत होना माना जाकर प्रतिवादी को न्यायालय समय में बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

तत्पश्चात् काफी समय तक पत्रावली साक्ष्यवादी में लम्बित रही। इस दौरान वकील वादी को बार–बार इस हेतु हिदायत दी गई। तदुपरान्त साक्ष्यवादी हेतु आवश्यक एवं अन्तिम अवसर दिये गये। अन्त में न्यायहित में स्वतः बन्द की शर्त पर अवसर प्रदान किया गया जिस पर साक्ष्यवादी योगेन्द्रदास एवं प्रदीप स्वामी ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जो शामिल पत्रावली किये जाकर गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये। प्रतिवादी पर एकपक्षीय कार्यवाही होने से जिरह शून्य रही। साक्ष्यवादी बन्द की गई। वकील वादी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील वादी ने बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 961 मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ जी, जो शाश्वत नाबालिग हैं, की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रतिवादी उक्त मन्दिर मूर्ति की भूमि में बिना किसी हक अधिकार के अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई कर बेच रहा है जिससे उक्त कृषि भूमि की कृषि प्रकृति को नुकसान हो रहा है। हमारे मना करने पर भी मान नहीं रहा है तथा इस कृषि भूमि में से मिट्टी खोद कर काफी बड़ा गड्ढा कर दिया है जिससे यह भूमि कृषि योग्य नहीं रही है। इसलिए प्रतिवादी को विधिवत रूप से स्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करवाने हेतु वादी ने यह दावा पेश किया है। प्रतिवादी उपस्थित नहीं आया है जिससे उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। हमने साक्ष्यवादी से दावा कथनों एवं पेश दस्तावेजात् को प्रमाणित कराया है जिससे दावा वादी प्रमाणित होता है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर एवं बहस के तथ्यों पर चिन्तन मनन किया गया। प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 रोही कस्बा चूरू के अनुसार ख.नं. 961 तादादी 11.00 बीघा में मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ जी खातेदार अंकित है। प्रदर्श–2 वादगत कृषि भूमि ख.नं. 961 का नक्शा है जिसके अनुसार उक्त कृषि भूमि रोही कस्बा चूरू में स्थित है। साक्ष्यवादी के बयानों में गवाहों ने दावा में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करने का निवेदन किया है। दावा में प्रतिवादी विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आया है जिससे उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है।

वादी द्वारा पेश दावा पत्रावली एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 961 तादादी 11.00 बीघा रोही मौजा चूरू मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ जी की खातेदारी की है जिसमें प्रतिवादी जाकिरहुसैन द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खनन करने एवं वादी की ओर से मन्दिर के महन्त द्वारा उक्त कृत्य से मना करने पर भी नहीं मानने पर यह दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आया है जिससे दावा में अंकित तथ्यों की स्वतः ही पुष्टि होती है। वादी ने अपने दावा कथनों एवं पेश दस्तावेजों को अपने साक्ष्य से प्रमाणित कराया है। वादगत कृषि भूमि मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ जी की खातेदारी कृषि भूमि है। नियमानुसार मन्दिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना जाता है तथा नाबालिग की भूमि होने से उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा बिना किसी हक अधिकार के अवैध रूप से मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग की कृषि भूमि में मिट्टी खनन कर उक्त कृषि भूमि की कृषि प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है तथा मना करने के बावजूद मान नहीं रहा है। इसलिए मन्दिर मूर्ति की भूमि की रक्षार्थ प्रतिवादी को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायोचित है। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार दावा वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 961 तादादी 11.00 बीघा रोही मौजा चूरू में प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वह ना तो उक्त भूमि में प्रवेश करे, ना ही मिट्टी की खुदाई करे तथा अन्य किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी (बड़ा मन्दिर) चूरू नाबालिक जरिये श्री योगेन्द्रदास, महन्त मन्दिर श्री लक्ष्मी नाथ (बड़ा मन्दिर) चूरू

–वादी–

बनाम

जाकिर हुसैन पुत्र श्री नवाब अली खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड़ नं. 24 मनोरंजन क्लब के पास, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 13/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री असगर खान एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 961 तादादी 11.00 बीघा रोही मौजा चूरू में प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वह ना तो उक्त भूमि में प्रवेश करे, ना ही मिट्टी की खुदाई करे तथा अन्य किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16 माह अक्टूबर सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)

उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी

चूरू